बिहारसरकार

सहकारिताविभाग

संकल्प

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रभाकर कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण बेतिया द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर के पदस्थापन काल में दो वर्षो से अधिक अवधि तक निकासी की गयी व्ययन का लेखा जोखा रोकड़ पंजी में प्रविष्ट नहीं कर अपने दायित्वों एवं कत्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 3 (1)(i)(ii)(iii) के प्रतिकूल है।

अतएव बिहार राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री प्रभाकर कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी कैमूर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' मे विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 में विहित नीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री विनय कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) के साथ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/श्री विनय कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री प्रभाकर कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(राजेन्द्र राम)

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक../पटना, दिनांक

8/नि.को.(रा.) परि.–213/2015

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक../पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ उपस्थापन पदाधिकारी श्री विनय कुमार, अवर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक../पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आरोपी पदाधिकारी श्री प्रभाकर कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

ज्ञापांक.........138........................../पटना, दिनांक 13.01.17

प्रतिलिपिः– उप सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

13-1-17

सरकार के उप सचिव (निगरानी)

13-1-17

आरोप–पत्र
प्रपत्र 'क'

1 पदाधिकारी का नाम :– श्री प्रभाकर कुमार

2 पदनाम एवं पदस्थापन :– तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)

3 श्रेणी / समूह :– समूह ''क''

4 वेतन, ग्रेड पे, :– PB-3 ग्रेड पे–6600 / –

5 जन्म तिथि :– 01.12.1967

6 सेवानिवृत तिथि :– 30.11.2027

7 आरोप की स्थिति

क्रम संख्या	आरोप	आरोप का संक्षिप्त विवरण	साक्ष्य
	2	3	4
1	कार्यालय रोकड़ पंजी को प्रायः 2 वर्षो तक संधारित नहीं किया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है।	माननीय मुख्यमंत्री की सेवा यात्रा कैमूर के क्रम में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, भभुआ के कार्यालय में प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की उपस्थिति में की गई समीक्षा बैठक में पाया गया की रोकड़ पंजी दिनांक 19.11.2009 से समीक्षा की तिथि दिनांक 26.04.2012 तक रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रायः दो वर्षो सो अधिक अवधि तक रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया जाना Account Code के नियम 256 के सर्वथा प्रतिकूल है जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।	अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का पत्रांक 3449 दिनांक 11.06.2015
2	सरकारी कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही।	आरोपी जिला सहकारिता पदाधिकारी सरकारी खजाने से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित है, इस प्रकार इनके द्वारा प्रायः दो वर्षो तक सरकारी खजाने से निकासी की गई राशि का व्ययन का लेखा जोखा रोकड़ पंजी में नहीं किया जाना इनके कर्त्तव्य के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है।	जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर का पत्र संख्या–1162 दिनांक 30.06.2012

GP 13-1-17

13.1.17

सरकार के उप सचिव (निगरानी)।